राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक : 17.02.2020

अधिसूचना

एस.ओ. ..... उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा –16 उप धारा (1) खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए **श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भौंरी लाल शर्मा** को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक), मुख्यालय जयपुर नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति निम्न शर्तो एवं निबंधनों के अधीन होगीः–

1. **श्री महावीर प्रसाद शर्मा**, सदस्य की यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या उनके 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
2. **श्री महावीर प्रसाद शर्मा**, को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि हटाने पर आई अवशेष राशि अर्थात (Pay-Pension) के बराबर रकम मानदेय के रूप में प्रति माह देय होगी।
3. राज्य आयोग का सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को देय है।
4. उन्हें ऐसे राजपत्रित अवकाश देय होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं।
5. राज्य आयोग के सदस्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 व उसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
6. राज्य आयोग के सदस्य को नियुक्ति अवधि के दौरान अभिभाषक की सनद (प्रमाण–पत्र) निलम्बित करानी होगी और उस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. राज्य आयोग सदस्य के रूप में नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
8. राज्य आयोग के सदस्य द्वारा अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के नियम 6(6) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र दो प्रतियों में पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को भेजी जायेगी।
9. राज्य आयोग के सदस्य की राजस्थान सरकार के कार्य दिवसों में आयोग में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. राज्य आयोग की सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्ते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।
11. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए सदस्य को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये सदस्य को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य (न्यायिक) के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय एवं रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, को तत्काल अवगत कराना होगा।

एफ 89(52) खा.वि./उ.स./05
राज्यपाल की आज्ञा से

सिद्धार्थ 17/2/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(52) खा.वि./उ.स./2005 जयपुर दिनांक : 17.02.2020.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले, राज. जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
9. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज. जयपुर।
10. **श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भौंरी लाल शर्मा,** सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अयोग, राज. जयपुर, निवासी– सी–10, ओझा जी का बाग के पास, गांधी नगर मोड, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सदस्य पद का कार्यभार आदेश जारी होने की तिथि से **30 दिवस** की अवधि में आवश्यक रूप से ग्रहण करे अन्यथा नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
11. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), खाद्य विभाग, राज. जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (उपभोक्ता मामले)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक : 17.02.2020

अधिसूचना

एस.ओ. ..... उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा –16 उप धारा (1) खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए **श्री अतुल कुमार चटर्जी पुत्र श्री नगेन्द्र नाथ चटर्जी** को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक) नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति निम्न शर्तो एवं निबंधनों के अधीन होगीः–

1. **श्री अतुल कुमार चटर्जी** सदस्य की यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या उनके 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
2. **श्री अतुल कुमार चटर्जी** को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि हटाने पर आई अवशेष राषि अर्थात **(Pay-Pension)** के बराबर रकम मानदेय के रूप में प्रति माह देय होगी।
3. राज्य आयोग का सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को देय है।
4. उन्हें ऐसे राजपत्रित अवकाश देय होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं।
5. राज्य आयोग के सदस्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 व उसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
6. राज्य आयोग के सदस्य को नियुक्ति अवधि के दौरान अभिभाषक की सनद (प्रमाण–पत्र) निलम्बित करानी होगी और उस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. राज्य आयोग सदस्य के रूप में नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
8. राज्य आयोग के सदस्य द्वारा अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के नियम 6(6) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र दो प्रतियों में पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को भेजी जायेगी।
9. राज्य आयोग के सदस्य की राजस्थान सरकार के कार्य दिवसों में आयोग में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. राज्य आयोग की सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्ते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।
11. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए सदस्य को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये सदस्य को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य (न्यायिक) के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय एवं रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, को तत्काल अवगत कराना होगा।

एफ 89(52) खा.वि./उ.स./05
राज्यपाल की आज्ञा से

सिद्धार्थ 17/2/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 33(52) खा.वि./उ.स./2005 जयपुर दिनांक : 17/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले, राज. जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
9. परीक्षक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज. जयपुर।
10. **श्री अतुल कुमार चटर्जी पुत्र श्री नगेन्द्र नाथ चटर्जी**, सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज. जयपुर, निवासी– 1, जालम विलास, पावटा 'बी' रोड, लक्ष्मीनगर, जोधपुर राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सदस्य पद का कार्यभार अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से ग्रहण करे अन्यथा नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
11. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), खाद्य विभाग, राज. जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (उपभोक्ता मामले)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

जयपुर, दिनांक : 17.02.2020

अधिसूचना

एस.ओ. ..... उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा –16 उप धारा (1) खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए **श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बी. आर. जैन** (न्यायिक पृष्ठभूमि) को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक) नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति निम्न शर्तो एवं निबंधनों के अधीन होगी:–

1. **श्री सुरेन्द्र कुमार जैन** सदस्य की यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या उनके 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
2. **श्री सुरेन्द्र कुमार जैन** को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि हटाने पर आई अवशेष राषि अर्थात (**Pay-Pension**) के बराबर रकम मानदेय के रूप में प्रति माह देय होगी।
3. राज्य आयोग का सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को देय है।
4. उन्हें ऐसे राजपत्रित अवकाश देय होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं।
5. राज्य आयोग के सदस्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 व उसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
6. राज्य आयोग के सदस्य को नियुक्ति अवधि के दौरान अभिभाषक की सनद (प्रमाण–पत्र) निलम्बित करानी होगी और उस अवधि के दौरान वे अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. राज्य आयोग सदस्य के रूप में नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
8. राज्य आयोग के सदस्य द्वारा अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के नियम 6(6) के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र दो प्रतियों में पेश करना होगा, जिसकी एक प्रति पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को भेजी जायेगी।
9. राज्य आयोग के सदस्य की राजस्थान सरकार के कार्य दिवसों में आयोग में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
10. राज्य आयोग की सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्ते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।
11. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए सदस्य को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये सदस्य को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य (न्यायिक) के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय एवं रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर, को तत्काल अवगत कराना होगा।

एफ 89(52) खा.वि./उ.स./05
राज्यपाल की आज्ञा से

सिद्धार्थ 17/2/2020
(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(52) खा.वि./उ.स./2005 जयपुर दिनांक : 17/02/2020.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले, राज. जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
9. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज. जयपुर।
10. **श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बी. आर.जैन** सदस्य, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अयोग, राज. जयपुर, निवासी– **A-1224, R.K. PURAM, KOTA, RAJASTHAN** को भेंजकर निर्देशित किया जाता है कि सदस्य पद का कार्यभार आदेश जारी होने की तिथि से **30 दिवस** की अवधि में आवश्यक रूप से ग्रहण करे अन्यथा नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
11. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), खाद्य विभाग, राज. जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (उपभोक्ता मामले)

Scanned by CamScanner